कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

रमेश कुमार सुथार गोद
पुत्र भूरारामजी सुथार
पीपली चौक
भीनमाल 343029(राज.)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन
तहसीलदार भीनमाल (राज)

प्रकरण संख्या 35/2017

अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

.....

उपस्थिति:-
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर कोई नहीं।

आदेश दिनांक:- 25.10.2017

आदेश

1. उक्त अपील अपीलार्थी श्री रमेश कुमार सुथार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, पदेन तहसीलदार, भीनमाल द्वारा कतिपय सूचनाए प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 द्वारा चाही गई सूचनाएं / आवेदन पर विनिश्चयन प्राप्त नहीं होने पर धारा 19 (1) में प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस बात की जानकारी होते हुये भी कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पद धारण करने वाले अधिकारियो को उनके पद नाम से पदेन राज्य लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। इसी कम में अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी पदेन तहसीलदार भीनमाल के नाम से ही प्रस्तुत किया गया है, किन्तु सूचना आवेदन पत्र पर विनिश्चियन विहित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर प्रस्तुत अपील श्री शंकराराम गर्ग के व्यक्तिगत नाम से प्रस्तुत की गई है जो सही नहीं है। अतः उक्त अपील का उनवान उपर अंकित अनुसार श्री रमेश कुमार सुथार (अपीलार्थी) बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीनमाल किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा धारा 19(1) के अन्तगत प्रस्तुत अपील में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है:-

2.1 *यह है कि अभिलेख / दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसको आगे इस अधिनियम के नाम से संबंधित किया है।)की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित आवेदन फीस के पेटे दस रूपये का भारतीय पोस्टल आंर्डर संख्या 40 एफ 729279 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 को रजिस्टर्ड डाक के जरिये उक्त प्रत्यर्थी पक्ष के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया था।*

2.2. *यह है कि भारतीय डाक विभाग की वेबासाइट https//www.indiapost.gov.in/ पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 उक्त प्रत्यर्थी पक्ष को 27.07.2017 को प्राप्त हो गया था।*

बिन्दु संख्या 2.1 व 2.2. के कम में यह तत्थ्यात्मक विवरण है एवं इसकी पुष्टि में प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017, पोस्टल आर्डर के अधपन्ने एवं रजिस्ट्री रसीद भी प्रस्तुत की गई है। अतः सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

2.3. यह है कि कार्यालय उप पंजीयक भीनमाल के कर्मचारी श्री चंपालालजी ने अपीलार्थी को बताया कि आपकी कोई डाक है, जो आप कार्यालय उप पंजीयक भीमाल में उपस्थित होकर प्राप्त करलो । अपीलार्थी उसी दिन कार्यालय उप पंजीयक भीनमाल में गया तो, उप पंजीयन भीनमाल का पत्रांक 211 दिनांक 28.08.2017 अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आवेदन के उसमें लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 28.08.2017 की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है जो तथ्यात्मक स्थिति होने से कोई विवेचन आपेक्षित नहीं है।

2.4. यह है कि अपीलार्थी को उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 उक्त प्रत्यर्थी से उप पंजीयक भीनमाल के पास कैसे गया ? इस संबंध में अपीलार्थी को कोई पत्रादि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। इसलिये उक्त प्रत्यर्थी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराई जाये।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 17.10.2017 अनुसार लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भीनमाल) के पास ही उपपंजीयक भीनमाल का भी कार्य भार है । अत: उन्होने अपने अधीन उप पंजीयक शाखा के लिपिक को मार्क किया । संबंद्ध समय में लोक सूचना अधिकारी एक ही होने से इसमें कोई विधिक भूल प्रकट नहीं होती है। अत: आपति खारिज की जाती है।

2.5. यह है कि इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसरण में किसी अन्य लोक प्राधिकारी को पांच दिन के भीतर भीतर अन्तरित किया जा सकता है और ऐसे अन्तरण की जानकारी आवेदक को भी देनी होती है, लेकिन ऐसे अन्तरण की कोई जानकारी आवेदक अपीलार्थी को आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई है। और इस अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (4) के अनुसरण में किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांगी जा सकती है।

चूंकि जिस लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भीनमाल) से सूचना चाही गई उन्ही के पास उप-पंजीयक भीनमाल का भी कार्य भार है, एवं उस पृथक कार्यालय के लिए संभवत: एक ही लिपिक अतिरिक्त हो सकता है। अत: उन्होने कानून की भावना (शीघ्र स्थानन्तरण) को ध्यान में रखते हुये संबंधित अधीनस्थ शाखा के लिपिक को उक्त आवेदन मार्क किया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी की रूचि सूचना प्राप्ति में नहीं होकर मात्र लोक सूचना अधिकारीयो पर मानसिक दबाव बनाने की दृष्टि से सूचना का आवेदन पेश करना, एवं उसकी उच्च अधिकारियो को प्रथम अपील व राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील किये जाने में अधिक है। आज ही प्रार्थी की दो अपीले (एक लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी भीनमाल एवं एक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीनमाल के विरूद्ध की गई है।)इस सबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी ऐजूकेशन बनाम आदित्य बंदोपाध्याय में पारित निर्णय दिनांक 09.08.11 में निर्णित किया है कि:- **"The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its Citizens. Nor should it be conberted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenerio where 75% of the staff of public authorities spend 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their duties** " (जैसा कि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने परिवाद संख्या 38/2017 में दिनांक 25.05.2017 को पारित

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

निर्णय में उल्लेखित किया है।) अतः इस बिन्दु पर उपरोक्त विवेचन के आलोक में कोई विनिश्चयन अपेक्षित नहीं है।

2.6. *यह है कि इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1)में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 पर कोई विनिश्चय अपीलार्थी (आवेदक) को प्राप्त नही हुआ है और ना ही उक्त आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 में चाही गई कतिपय सूचना आज दिनांक तक अपीलार्थी (आवेदक)को प्राप्त हुई है।*

अपीलार्थी के आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी (उप पंजीयक भीनमाल) के पत्रांक कमांक 211 दिनांक 02.08.2017 द्वारा विनिश्चयन भेजा गया है, जिसकी प्राप्ति प्रार्थी द्वारा उप पैरा 2.3 में प्रार्थी द्वारा स्वीकार की गई है। अतः उक्त बिन्दु त्रुटि पूर्ण तरीके से उठाया गया है। अतः इस बिन्दु पर अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

2.7. *यह है कि इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अनुसरण में इस प्रथम अपील को रजिस्टर्ड डाक के जरिये आपके समक्ष विधिवत प्रस्तुत की गई है, जिसको स्वीकार ने से राजकीय धन एवं राजकीय समय बचत होगी।*

तथ्यात्मक बिन्दु है। अपील विचारार्थ रखी जाकर निर्णय किया जा रहा है। अन्य विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं है।

2.8. *यह है कि उक्त प्रत्यर्थी को आदेशित करे कि इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (6) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2017 में चाही गई कतिपय सूचना को जिला अभिलेखागार (उप पंजीयन जालोर) से प्राप्त करके अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। इस संबंध में इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 2135/2016 अनवान मोवनी कुमारी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर में श्री सुरेश चौधरी मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 का अवलोकन करे।*

उक्त उल्लेखित निर्णय लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु दिए गए निर्देश से संबंधित है । अपीलीय अधिकारी को सूचना प्रदान करने का कोई निर्देश इस निर्णय में माननीय सूचना आयोग द्वारा नहीं दिया गया है।

प्रार्थी लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक कमांक 211 दिनांक 28.08.2017 अनुसार सूचना संधारित करने वाले लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त बिन्दुवार विवेचन अनुसार प्रार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रार्थी द्वारा इस आदेश की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(एल.एन.सोनी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर